**भारत सरकार**

**महिला एवं बाल विकास मंत्रालय**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 1984**

दिनांक 02 अगस्त, 2024 को उत्तर के लिए

**महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा**

**1984. श्रीमती गनीबेन नागाजी ठाकोर:**

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी किः

(क) क्या सरकार के पास देश में घरेलू हिंसा का सामना कर रही महिलाओं के संबंध में कोई आंकड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो विगत पांच वर्षों के दौरान सामने आई ऐसी घटनाओं की वर्ष-वार संख्या सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा देश में घरेलू हिंसा को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का विचार है?

**उत्तर**

**महिला एवं बाल विकास मंत्री**

**(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)**

**(क) से (ग) :** राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो (एनसीआरबी) अपने प्रकाशन 'भारत में अपराध' में महिलाओं के प्रति अपराध सहित अपराधों पर डेटा संकलित और प्रकाशित करता है जो एनसीआरबी की वेबसाइट https://ncrb.gov.in पर में उपलब्ध है। उक्त रिपोर्ट वर्ष 2022 तक उपलब्ध है, जिसमें "घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण (पीडब्ल्यूडीवी) अधिनियम, 2005" के तहत दर्ज शिकायतों का विवरण शामिल है। एनसीआरबी के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, वर्ष 2019, 2020,

2021 और 2022 के दौरान पीडब्ल्यूडीवी अधिनियम के तहत दर्ज मामलों की संख्या क्रमशः 553, 446, 507 और 468 है।

इसके अलावा, "पुलिस" और "कानून व्यवस्था" भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत राज्य के विषय हैं। कानून और व्यवस्था बनाए रखने, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध की जांच और अभियोजन सहित नागरिकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकारों की है और वे इससे निपटने के लिए सक्षम हैं। पीडब्ल्यूडीवीए की धारा 8 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रत्येक जिले में उतनी संख्या में संरक्षण अधिकारी नियुक्त करने का अधिदेश देती है, जितनी वे आवश्यक समझें और साथ ही उस क्षेत्र या क्षेत्रों को अधिसूचित करने का भी आदेश देती है, जिसके भीतर एक संरक्षण अधिकारी अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा और प्रदत्त कर्तव्यों का पालन करेगा। संरक्षण अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह घरेलू हिंसा के मामलों की शिकायत प्राप्त होने पर मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करे और मजिस्ट्रेट को उनके कार्यों के निर्वहन में सहायता दे। हालांकि, किसी व्यक्ति की दोषसिद्धि न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में आती है, जो पीडब्ल्यूडीवीए के प्रावधानों के अनुसार तथ्यात्मक स्थिति और सभी संबंधित पहलुओं पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद मामले का फैसला करती है।

फिर भी, केंद्र सरकार महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है और इस संबंध में विभिन्न विधायी और योजनाबद्ध पहल किए गए हैं। इनमें “आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2018”, “घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2006”, “दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961”, आदि जैसे कानून शामिल हैं। सरकार द्वारा कार्यान्वित की गई योजनाओं/परियोजनाओं में वन स्टॉप सेंटर (ओएससी); “मिशन शक्ति” के महिला हेल्पलाइन (डब्ल्यूएचएल) घटकों का सार्वभौमीकरण, आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस) जो आपात स्थितियों के लिए अखिल भारतीय एकल नंबर (112)/मोबाइल ऐप आधारित प्रणाली है; जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से समुदाय में क्षमता निर्माण, पुलिस स्टेशनों पर महिला हेल्प डेस्क (डब्ल्यूएचडी) की स्थापना/मजबूती आदि शामिल हैं।

निर्भया फंड के तहत, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) ने भी कई पहल की हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ जांच अधिकारियों, अभियोजन अधिकारियों और

चिकित्सा अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रम शामिल हैं। बीपीआरएंडडी ने चार महत्वपूर्ण घटकों अर्थात् बुनियादी ढांचे, प्रशिक्षण, मानव संसाधन विकास और प्रतिक्रिया तंत्र पर ध्यान केंद्रित करके महिला हेल्प डेस्क के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए "पुलिस स्टेशनों पर महिला हेल्प डेस्क" के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) भी तैयार की है। महिलाओं के खिलाफ अपराध की रोकथाम और जांच के उद्देश्य से "महिला सुरक्षा और संरक्षा - पुलिस में प्रथम प्रतिक्रियाकर्ताओं और जांचकर्ताओं के लिए एक पुस्तिका" नामक एक पुस्तक भी तैयार की गई है, जिसमें यौन उत्पीड़न अपराध के विशेष संदर्भ में जांच, पीड़ित को मुआवजा और पुनर्वास शामिल है। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध को रोकने और अपराध का पता लगाने तथा अपराध के पीड़ितों के साथ बातचीत के दौरान पुलिस के उचित व्यवहार और मनोवृत्ति कौशल पर जोर दिया गया है। बीपीआरएंडडी द्वारा संवेदनशीलता के साथ महिला सुरक्षा, पुलिस कर्मियों का लिंग संवेदीकरण आदि पर वेबिनार भी आयोजित किए गए।

हिंसा से प्रभावित और संकटग्रस्त महिलाओं के लिए मनोवैज्ञानिक-सामाजिक परामर्श की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए , महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने संकटग्रस्त महिलाओं की सहायता के लिए मनोवैज्ञानिक-सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए देश भर के वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) के कर्मचारियों को "स्त्री मनोरक्षा" नामक परियोजना के अंतर्गत बुनियादी और उन्नत प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान (निमहांस) की सहायता ली हैं। मंत्रालय समय-समय पर महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए जागरूकता अभियान चलाता है। इसके अलावा, सरकार राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू), राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) जैसी संस्थाओं और राज्यों में उनके समकक्षों के माध्यम से लोगों को महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा और कानून के विभिन्न प्रावधानों आदि के बारे में संवेदनशील बनाने के लिए सेमिनार, कार्यशालाओं, ऑडियो-विजुअल, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आदि के माध्यम से जागरूकता फैला रही है।

****